भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4079

(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बजट का आवंटन

4079. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए बजटीय आवंटन को वर्ष 2024-25 और 2025-26 में किए गए आवंटनों की तुलना में कम कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की कमी के क्या कारण हैं, विशेषकर तब जब ग्रामीण संपर्क आर्थिक विकास, बाजारों तक पहुँच, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार लंबित सड़क परियोजनाओं, जिनमें स्वीकृत किन्तु अभी तक पूर्ण न हुई परियोजनाएँ भी शामिल हैं, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त आवंटन में कमी के कारण चल रही तथा प्रस्तावित ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं पर, विशेषकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में, पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा विलंब और लागत वृद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए बजट अनुमान (बीई) को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लगातार 19,000 करोड़ रुपये ही रखा गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष (10.03.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), और पीएमजीएसवाई के तहत जारी वास्तविक केंद्रीय अंश का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी केंद्रीय अंश
2022-23	19,000	19,000	18,996.20
2023-24	19,000	17000	14049.79
2024-25	19,000	14500	13376.46
2025-26 (10.03.2026 की स्थिति के अनुसार)	19,000	11,000	5,089.61

पीएमजीएसवाई के तहत निधि जारी करना सतत प्रक्रिया है। हालांकि, पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास मौजूद कार्यों, कार्य निष्पादन क्षमता और पिछले वर्षों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के आधार पर किया जाता है। योजना के तहत निधियों की अनुपलब्धता के कारण कोई भी काम कभी प्रभावित नहीं हुआ है।

(घ) पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत 10.03.2026 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत, पूर्ण और लंबित सड़क परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ड़.) पीएमजीएसवाई के तहत निधियां परियोजनाओं के स्वीकृत मूल्य (वीओपी) की तुलना में जारी मूल स्वीकृतियों के माध्यम से राज्यों (तमिलनाडु सहित) को आवंटित की जाती है। निधि प्रस्तावों की प्राप्ति पर संवितरण होता है, जो योजना के परिचालन और वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

(च) इस कार्यक्रम की निगरानी नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर राज्यों के मुख्य सचिवों/सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई है। इसके अलावा, कार्यक्रम एमआईएस-ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के

माध्यम से वास्तविक और वित्तीय प्रगति को भी ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा, माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निगरानी करती है कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 17.03.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4079 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत स्वीकृत, पूर्ण और लंबित सड़क परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (10.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल स्वीकृत			पूर्ण			शेष		
		सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल
1	अंडमान और निकोबार	133	374	0	90	144	0	43	226	0
2	आंध्र प्रदेश	5521	20,727	411	5149	18,582	300	372	1,518	111
3	अरुणाचल प्रदेश	1664	16,789	304	1414	14,589	247	250	2,140	57
4	असम	10027	34,434	1528	9147	32,137	1428	880	2,126	100
5	बिहार	18768	65,599	2094	18534	62,486	1758	234	835	336
6	छत्तीसगढ	10493	50,814	660	8900	44,299	494	1593	5,249	166
7	गोवा	80	218	2	70	155	0	10	63	2
8	गुजरात	4822	15,673	277	4814	15,449	169	8	26	108
9	हरियाणा	773	8,111	18	771	8,042	18	2	2	0
10	हिमाचल प्रदेश	4170	26,506	147	3625	22,991	107	545	3,095	40
11	जम्मू और कश्मीर	3753	22,583	305	3327	19,851	252	426	2,298	53
12	झारखंड	8445	34,594	847	7878	31,827	736	567	2,110	111

13	कर्नाटक	4455	24,264	164	4399	23,988	157	56	111	7
14	केरल	1799	5,286	15	1632	4,742	4	167	504	11
15	लद्दाख	196	1,659	3	150	1,345	3	46	213	0
16	मध्य प्रदेश	21208	95,410	1754	20455	90,529	1608	753	1,643	146
17	महाराष्ट्र	7058	34,476	1110	6717	32,490	967	341	1,298	143
18	मणिपुर	2017	12,480	210	1773	10,898	160	244	1,567	50
19	मेघालय	1314	5,959	163	1202	5,124	108	112	790	55
20	मिजोरम	367	4,935	7	345	4,638	0	22	275	7
21	नागालैंड	399	4,927	53	345	4,325	53	54	603	0
22	ओडिशा	17963	74,725	707	17735	71,525	649	228	620	58
23	पुदुचेरी	72	174	0	30	62	0	42	110	0
24	पंजाब	1512	11,645	74	1403	10,686	28	109	904	46
25	राजस्थान	19377	81,486	74	18128	75,859	70	1249	3,290	4
26	सिक्किम	1138	5,602	126	962	4,872	85	176	658	41
27	तमिलनाडु	10368	26,648	214	10307	26,278	195	61	185	19
28	तेलंगाना	3570	14,650	551	3282	13,041	424	288	1,278	127
29	त्रिपुरा	1594	6,284	67	1392	5,092	55	202	1,002	12
30	उत्तर प्रदेश	21125	77,425	18	20998	75,638	17	127	553	1
31	उत्तराखंड	2809	23,824	375	2446	21,662	330	363	1,914	45
32	पश्चिम बंगाल	7789	41,039	61	7382	38,413	54	407	2,262	7
कुल		1,94,779	8,49,320	12,339	1,84,802	7,91,760	10,476	9,977	39,469	1,863
